सं० ओ०वि०/कुरुक्षेत्र/22-86/48498.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० (1) परिवहन आयुक्त, हरियाणा चण्डीगढ़, (2) जनरल मैनेजर, हरियाणा रोडवेज, कैथल के श्रमिक श्री उमेद सिंह डाईवर नं० 98, पुत्र श्री मान सिंह गांव व डा० सिधाना, तह० सफीदों (जीन्द) तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं;

इसलिये, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 3(44) 84-3-श्रम, दिनांक 18 अप्रैल, 1984 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, अम्बाला को विवादग्रस्त या उससे संबंधित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा संबंधित मामला है :—

क्या श्री उमेद सिंह डाईवर नं० 98, पुत्र श्री मान सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं० ओ०वि०/एफ.डी./183-86/48507.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० (1) अटलांटिक इन्जिनियरिंग सर्विस प्रा० लि०, 19 कि. मि. मथुरा रोड, डा० अमर नगर, फरीदाबाद, (2) श्री एस. सी. मित्तल, आफिसियल लिक्वडेटर भारत सिक्योटस एण्ड गाईड बिल्डिंग, 19 रिंग रोड, आई. पी. इस्टेट, नई दिल्ली के श्रमिक श्री द्वीजेन्द्रा लाल डेव मार्फत श्री श्याम सुन्दर गुप्ता, 50, नीलम चौक फरीदाबाद तथा प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद, अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद, का नीचे विनिर्दिष्ट मामला जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है अथवा विवाद से सुसंगत या संबंधित मामला है न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं :—

क्या श्री द्वीजेन्द्रा लाल डेव की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत की हकदार है ?

सं० ओ०वि०/एफ.डी./185-86/48515.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० (1) अटलांटिक इन्जिनियरिंग सर्विस, प्रा० लि०, 19 कि०मि०, माथुरा रोड, फरीदाबाद, (2) श्री एस.सी. मित्तल, आफिसियल लिक्वडेटर भारत सिक्योटस एण्ड गाईड बिल्डिंग, 19, रिंग रोड आई.पी. इस्टेट, नई दिल्ली के श्रमिक श्री पानन मार्फत श्री श्याम सुन्दर गुप्ता, 50, नीलम चौक, फरीदाबाद तथा प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं;

इसलिये, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद को नीचे विनिर्दिष्ट मामला जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है अथवा विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला है न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं :—

क्या श्री पानन की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं. ओ. वि. /एफ०डी०/183-86/48523.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि मै० (1) अटलांटिक इन्जिनियरिंग सर्विस प्रा० लि०, 19, कि.मि. मथुरा रोड, डा० अमर नगर, फरीदाबाद, (2) श्री एस.सी. मित्तल, आफिसियल लिक्वडेटर एण्ड गाईड बिल्डिंग, 19, रिंग रोड, आई.पी. इस्टेट, नई दिल्ली के श्रमिक श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा मार्फत श्री श्याम सुन्दर गुप्ता, 50, नीलम चौक, फरीदाबाद तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इस में इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिये, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई, शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद, को नीचे विनिर्दिष्ट मामला जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है अथवा विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला है, न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं:—

क्या श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?